संख्या-1548/ उन्तीस(2)/05-2(54पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक:07 दिसम्बर, 2005

विषय:- ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं की वर्ष 2005-06 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4833/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 27.10.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार उल्लिखित योजनाओं हेतु रू0 166.90 लाख (रू0 एक करोड़ छियासठ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रू0 लाख में।)

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनु0 लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	देहरादून में मोठी ग्राम में ट्यूबवेल की स्थापना।	56.00	39.10	16.90
2	देहरादून में कनरानी धालीपुर योजना में नलकूप एवं उच्च जलाशय का निर्माण, फेज-1	87.90	-	50.00
3	कछवापानी पेयजल योजना जोन-1 पार्ट-I(नलकूप एवं उच्च जलाशय)	96.26	-	50.00
4	कछवापानी पेयजल योजना जोन-II पार्ट-I (नलकूप एवं उच्च जलाशय)	97.25	-	50.00
	योग-			166.90

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विभागीय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

क्रमशः..2

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(6) कार्य करने से पूर्व स्थल की भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाले सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) कार्यों में सेंटेज/कन्टीजैन्सी व्यय वर्तमान में प्रचलित शासकीय दर से नियमानुसार ही लिया जायगा।

(10) योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार्य नहीं होगा।

(11) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ग्राम समाज/वन भूमि का हस्तान्तरण विधिवत पूर्ण करा लिया जाय और उक्त सूचना शासन को व्यय की स्वीकृति देने के बाद ही उक्त योजना पर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन सम्बन्धित योजना के कार्यो पर ही किया जायेगा तथा धनराशि के आवंटन की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्यो की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(13)- कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(14)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाय। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त अधूरी योजनाओं पर अवमुक्त की जायेगी। क्रमांक-1 की योजना में पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही उक्त योजना में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(15)- व्यय करने के पूर्व बजट मैनुअल फाइनेन्शियल हैण्डबुक नियमों, टैंडर एवं अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमश..3

2— स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार किस्तों में आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि योजना पर पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग नही हुआ है तो योजना के लिए पूर्व स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग हो जाने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

3—उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान सं0—13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01 जलापूर्ति— आयोजनागत —102—ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-03—ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0—187/XXVII(2)/2005 दिनांक 17 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

पृ0सं0 1498/ उन्तीस(2) -2(54पे0)/2004,तद्दिनांक
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल ।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6. वित्त अनुभाग—3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8—उप सचिव (योजना अनुभाग) मुख्य मंत्री कार्यालय विधान सभा, देहरादून।
9. स्टाफ ऑफिसर— मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10.गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव